कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

(आदिवासी विकास शाखा)
दूरभाष (कार्यालय) 07781-252881, (फैक्स) 252920
Email-collector.assttw.narayanpur@gmail.com

-- संक्षिप्त द्वित्तीय निविदा आमंत्रण --

क्रमांक/2028 /आ.वि./स्टोर/आई.ए.पी./2014-15, नारायणपुर दिनांक 17/09/2014

नारायणपुर जिले के अबुझमाड़िया परिवारो हेतु **रेडियो** क्रय बावत दिनांक **29.09.2014 समय दोपहर 3.00 बजे** तक निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते कार्यालयीन अवधि में **रूपये 1000/- नगद** या विभागीय जमा शीर्ष में **"0250 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 102-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो का कल्याण"** चालान जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकार को प्रत्येक सामग्री का पृथक-पृथक आमानत राशि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास नारायणपुर के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट एफ.डी.आर.टी.डी.आर के रूप में जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा के शर्ते दिनांक 16.09.2014 (समय 10.30 बजे) से कार्यालय आदिवासी विकास शाखा कलेक्ट्रेट, के कमरा क्रमांक 94-95, नारायणपुर (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकेगा।

-- निविदा आमंत्रित सामग्री का विवरण --

क्र0	सामग्री का नाम	सामग्री का स्पेशिफिकेशन	निविदा प्रपत्र की राशि	अमानत राशि	प्रावधानित संभावित कुल राशि
1	2	3	4	5	
1	Radio (SW,MW, FM,TV Band)	Branded Company	1000/-	58500	38.95 लाख

टीप :-

1. निविदा फार्म विक्रय की अंतिम तिथि - 29.09.2014 समय 3.00 बजे तक
2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 29.09.2014 को समय 3.00 बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि - 29.09.2014 को समय 4.30 बजे
4. निविदा के शर्ते एवं अधीक जानकारी छ.ग.शासन (cg.gov.in) के वेबसाइट् प्राप्त कर सकते है।

निविदा खोले जाने की तिथि पर अवकाश घोषित होने अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता के शासकीय दौरे पर होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जावेगी।

सहायक अयुक्त,
आदिवासी विकास
नारायणपुर

कार्यालय कलेक्टर,जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

(आदिवासी विकास शाखा)

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252881, (फैक्स) 252920
Email-collector.assttw.narayanpur@gmail.com

-- संक्षिप्त द्वितीय निविदा आमंत्रण --

क्रमांक/2028 /आ0वि0/IAP/2014-15 नारायणपुर, दिनांक 17/09/2014

निविदा के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तो का विवरण -

1. निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी दिनांक 29.09.2014 समय 3.00 बजे तक रू 1000/- नगद या विभागीय जमा शीर्ष मे **"0250 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 102-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो का कल्याण"** मद मे चालान जमा कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर से प्राप्त किया जा सकता है।
2. मोहर बंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 29.09.2014 साय 3.00 बजे तक होगी। निर्धारित तिथी एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्ताव को सम्मिलित नही किया जायेगा। निविदा उसी दिन 29.09.2014 को 4.30 बजे खोला जायेगा। निविदा खोलते समय प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते है।
3. रेडियो सामग्री का क्रय वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत फर्म/फर्मो से ही किया जायेगा, जो सामग्री इसी प्रकार के अन्य के लिए रजिस्टर्ड हो तो संबंधित फर्म को वाणिज्यिक कर विभाग में उक्त वर्ग के लिए पंजीयन होने का जीवित सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदाकार ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है वर्ष 2013-14 का आय का आयकर समाशोधन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदाकार को TIN number एवं PAN number प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदाकार/निविदादाता को विगत तीन वर्षो का (2011-12, 2012-13, 2013-14) का इन्कम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
7. निविदाकार/निविदादाता का पूर्व वर्ष का वार्षिक टर्नओव्हर कम से कम 10,00,000/- (दस लाख रूपये मात्र) होना चाहिए एवं टर्नओव्हर प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदाकार/निविदादाता को निविदा के साथ रेडियो हेतु 58500/- की अमानत राशि (सुरक्षा निधि) का बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा करना होगा। सुरक्षा निधि सहायक अयुक्त, आदिवासी विकास नारायणपुर के नाम से डीमांड ड्राफ्ट के रूप में होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर में देय होगा। भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट ही मान्य किये जायेंगे। सफल निविदाकार की अमानत राशि (सुरक्षा निधि) राशि रोक कर शेष को 15 दिवस के भीतर वापस लौटा दी जायेगी।

निविदा जमा करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जायेगा : -

अ. प्रथम लिफाफे मे फर्म के लेटर हेड पर अंकित निविदा के संबंध में घोषणा-पत्र, वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का सत्यापित जीवित प्रमाण-पत्र , फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है इस आशय का आयकर समाशोधन प्रमाण-पत्र, पिछले तीन वर्षो का इन्कम टैक्स रिर्टन की अभिप्रमाणित छायाप्रति, TIN number एवं PAN number प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति इस क्षेत्र में किये गये पूर्व कार्यो का विवरण (प्रोफार्मा III), बैंक ड्रॉफ्ट का विवरण (प्रोफार्मा IV), तथा डीमांड ड्रॉफ्ट के रूप में रेडियो हेतु 58500 की सुरक्षानिधि सम्मलित करना होगा। प्रथम लिफाफे को मोहरबंद कर लिफाफे के बाहरी हिस्से में निविदाकार/निविदादाता का नाम एवं डाक का पता लिखना होगा तथा लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से **"PREQUALIFICATION BID-ENVELOPE A"** लिखना होगा।

ब. द्वितीय लिफाफे में केवल निविदा दर प्रपत्र (प्रोफार्मा V), रखा जायेगा। प्रति इकाई (सेट) दर में सभी देय कर एवं परिवहन, मजदूरी आदि में होने वाला व्यय भी सम्मिलित रहेगा अर्थात इसके अतिरिक्त अन्य कोई क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा। द्वितीय लिफाफे को मोहरबंद कर लिफाफे के बाहरी हिस्से में निविदाकार/निविदादाता का नाम एवं डाक का पता लिखना होगा तथा लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से **"COMMERCIAL BID-ENVELOPE B"** लिखना होगा।

9. उपरोक्त दोनों मुहरबंद लिफाफे को एक अन्य बड़े लिफाफे में डालकर इसे सीलबंद करना होगा। इस बड़े लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से **"BID FOR Radio "** लिखा होना चाहिए। इस बड़े लिफाफे के बाहरी हिस्से में भी निविदाकार/निविदाता का नाम एवं डाक का पता उल्लेखित होना चाहिए। निविदा के साथ जमा किये जा रहे दस्तावेजों एवं प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म का सील एवं अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

10. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सैम्पल रेडियो की गुणवत्ता एवं मूल्य कथन के आधार जिला स्तरीय समिति के पास निविदा स्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। न्यूनतम दर आधार नहीं होगा (अर्थात् रेडियो की गुणवत्ता के आधार पर दिये गये दर सीमा अंतर्गत निविदादाता का चयन किया जावेगा) रेडियो की गुणवत्ता को आधार माना जायेगा। जिसका निर्णय समिति करेगी।
11. निर्धारित दिवस को **"PREQUALIFICATION BID-ENVELOPE A"** सर्वप्रथम खोला जायेगा। प्रथम लिफाफे में अनिवार्य रूप से कंडिका क्रं 8 अ में उल्लेखित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर तथा पृथक से सेम्पल रेडियो प्राप्त होने पर ही निविदाकार के दूसरे लिफाफे अर्थात **"COMMER- CIALBID-ENVELOPE B"** को खोला जायेगा। **PREQUALIFICATION BID-ENVELOPE A"** में कोई एक भी आवश्यक दस्तावेज तथा सेम्पल रेडियो के अभाव में दूसरा लिफाफा खोला ही नही जायेगा एवं संबंधित निविदाकार के भागिता को निरस्त माना जायेगा।
12. निविदा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा निर्धारित अंतिम तिथी को अपरान्ह 3 बजे तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर'' में अथवा निर्धारित टेण्डर बॉक्स में डाली जायेगी डाक विलंब के लिए कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा।
13. एक निविदाकार फर्म/समिति से एक ही निविदा स्वीकार्य होगा। किसी एक फर्म/समिति के द्वारा एक से अधिक निविदा भरी जाती है तो उस फर्म/समिति की निविदा में भागीदारी क्रय समिति के द्वारा निरस्त कर दी जायेगी।
14. यह स्पष्ट किया जाता है कि एक सेट रेडियो के लिए अपना दर प्रस्तुत करना होगा। निविदाकार/निविदादाता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रेडियो आपूर्ति की मात्रा एवं निर्धारित समय-सीमा बाधित न हो।
15. प्रदाय किये जाने वाले रेडियो की सूची नीचे अनुसार है -

क्र0	सामग्री का नाम	सामग्री का स्पेशिफिकेशन	निविदा प्रपत्र की राशि	अमानत राशि	प्रावधानित संभावित कुल राशि
1	2	3	4	5	
1	Radio (SW,MW, FM,TV Band)	Branded Company	1000/-	58500	38.95 लाख

16. अगर कोई आपूर्तिकर्ता एवं फर्म ने निविदा में भाग लिया है अथवा अपना दर प्रस्तुत किया है तो यह माना जायेगा कि निविदा की सभी नियम एवं शर्ते उन्हें पूर्णतः स्वीकार्य है।
17. निविदा में उल्लेखित सामाग्री अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
18. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नही खोली जायेगी तथा वापस लौटा दी जायेगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा प्राप्त होने एवं लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जायेगा।
19. राज्य के बाहर स्थित निविदाकारों द्वारा दी गई दरों की तुलना राज्य में वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निविदाकारों द्वारा दी गई दरों में छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर को छोड़कर की जायेगी।
20. आपूर्ति की गई सामग्री का विभागीय क्रय समिति के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा तथा सेम्पल अनुसार सामग्री सही नही पाये जाने पर संबंधित फर्म को लिखित सूचना दी जायेगी तथा फर्म को एक सप्ताह के भीतर सामाग्री अपने स्वयं के व्यय पर उठाना होगा एवं सामाग्री परिवर्तन कर तत्काल देना होगा। निर्धारित अवधि में सामग्री वापस नही ले जाने पर आपूर्ति की गई सामग्री की क्षति अथवा हानि के लिए इस कार्यालय का कोई दायित्व निर्मित नहीं होगा।

21. समिति के द्वारा प्रदाय किये गये सामाग्री के भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण किये जाने एवं संतोषप्रद पाये जाने पर ही भुगतान की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। कोई भी सामाग्री एवं अस्वीकर करने का पूर्ण अधिकार समिति का होगा।
22. सफल निविदाकार कार्यदेश जारी होने के 45 दिन के भीतर नमूने तथा कंडिका 15 मे दिये गये मापदण्ड के अनुरूप सामग्री प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। निर्धारित अवधि के अंदर संपूर्ण सामग्री प्रदाय नही किये जाने एवं प्रदाय हेतु शेष बचे रेडियो सामग्री प्रति सेट 500/- रू. के मान से प्रतिदिन पेनाल्टी जो आपके द्वारा प्रस्तुत सुरक्षानिधि एवं कार्य प्रदर्शन सुरक्षा निधि से काटी जावेगी। निर्धारित समयावधि एवं नमूना अनुसार सामग्री प्रदाय न करने पर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा संबंधित फर्म को काले सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
23. निविदाकार्य द्वारा प्रदाय सामग्रीयों को संस्थाओं में प्रदाय करते हुये चालू स्थति स्थपित कर संस्था प्रमुख से प्रमाण पत्र ला कर इस कार्यालय को देना होगा एंव प्रदाय सामग्री का एक साल का वारेन्टी/गारेन्टी भी प्रदाय करने पर ही राशि का भुगतान करना होगा।
24. इस निविदा प्रक्रिया में एवं क्रय एवं प्रदाय प्रक्रिया के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद निर्मित होने की दशा में उसका निराकरण कलेक्टर जिला न्यायालयीन क्षेत्र नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के अधीन होगा।
25. आमंत्रित निविदा में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में कलेक्टर जिला नारायणपुर का निर्णय अंतिम होगा।
26. रेडियो सामग्री का क्रय वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत फर्म होना अनिवार्य है। अन्य सामग्री हेतु पंजीक्रत फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा मान्य नही होगा।
27. पूर्व मे जमा निविदा फार्म के साथ जमा अमानत राशि पुनः जमा करने से मान्य नही किया जायेगा । पुनः नवीन बैंकर्स चेक या डीमांड ड्राफ्ट बनाना अनिवार्य होगा।

सहायक अयुक्त,
आदिवासी विकास
नारायणपुर